

कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ



पत्रांक 786/नवरा/विधिक/विपच/2011-2012

दिनांक 04.01.2011

नवदेश्वर शिक्षा समिति  
विभाग स्वतः-दिनहट  
विकास खण्ड-दिनहट  
जनपद-लखनऊ।

आपके प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न भूतखिन्न पर सभ्यता विभागाधीन मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

याम दिनहट विकास खण्ड दिनहट लखनऊ की भूमि संख्या खसत संख्या 537, 538, 564 व 565 में प्रस्तावित कुल कावर्ड एरिया 8753.05 वर्गमीटर पर शिक्षण संस्थान भवन निर्माण कराये जाने हेतु मानचित्र की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों सहित दी जाती है।

1. प्रस्तावित भवन का निर्माण प्रारम्भ करते समय तथा निर्माणधीन अवधि में कोर्ड की विभाजन सामग्री मार्ग पर एकत्र न की जाये।
2. जल-मल की निकाली मार्ग की ओर न की जाये।
3. मुख्य मार्ग के मध्य से किन्तु से निर्माण स्थल की प्रतिबन्धित दूरी को सम्बन्ध में रोड साइड लेनक कायूटीन अक्ट 1964 के नियम-7 यथावत् लागू रहेंगे।
4. प्रतिबन्ध रहेगा कि मुख्य अग्नि शमन कार्यालय से दो माह के अन्दर अनुमति प्राप्त पत्र प्राप्त कर कार्यालय में प्रस्तुत कर दिख जायेगा अन्यथा स्वतः निरस्त माना जायेगा।  
बिना किसी पूर्ण सूचना के नशी/नवन में किसी भी प्रकार का परिकर्षण/परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि किसी भी प्रकार का परिकर्षण/परिवर्तन मान/भूतखिन्न में प्रस्तावित है, तो जिला पंचायत लखनऊ से स्वीकार किये बिना परिकर्षण/परिवर्तन नहीं किया जायेगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में जिला पंचायत, लखनऊ उत्तरदायी नहीं होगी।  
अनुमोदित मानचित्र किसी भी दशा में स्वामित्व का अभिलेख नहीं माना जायेगा।

जिपे मुख्याधिकारी -11  
जिला पंचायत, लखनऊ  
द्वारा मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत लखनऊ

Principal  
Navadeshwar Narendra Pharmacy College